भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 739

05.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र

739 **श्री जी.सी. चन्द्रशेखरः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों को फेम-II और पीएलआई योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए केंद्रीय प्रोत्साहन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों में राज्यों में ऐसे समर्थन के साथ स्थापित इलेक्ट्रिक वाहनों और संघटक विनिर्माण इकाइयों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा कुछ राज्यों और कर्नाटक को इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत, एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित आवेदकों (ऑटो मूल उपकरण विनिर्माताओं और कंपोनेंट विनिर्माताओं) को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। फ़ेम-II के तहत, खरीदार को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती कम खरीद कीमत के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसे ओईएम (ईवी विनिर्माताओं) को वापस कर दिया जाता है। पीएलआई-ऑटो स्कीम पूरे भारत में (कर्नाटक राज्य सहित) लागू की गई है और 30.09.2025 तक, पूरे भारत में अनुमोदित आवेदकों ने 278 विनिर्माण इकाइयों की सूचना दी है।

(ग) पीएलआई ऑटो स्कीम अनुमोदित आवेदकों को अर्ह बिक्री (एक्सपोर्ट सहित) पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा, भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम, जिसे 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था, का उद्देश्य भारत में वैश्विक ईवी विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करना है।

*****